न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10/2017 (बाजदायरी प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती सोहन कुंवर पुत्री स्व. सवसिंह जी पत्नी श्री हरिसिंह जी राजपूत निवासी घणौली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री केसरसिंह पिता श्री इन्द्रसिंह जी राजपूत निवासी जगपुरा, तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री नाथूसिंह पिता स्व. श्री सवसिंह जी राजपूत निवासी बांगरोदा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय (उप पंजीयक) मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
3. पटवारी महोदय, पटवार हल्का भीमल तहसील मावली जिला उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9, नियम–9 सपठित
धारा–151 विरूद्ध निर्णय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर दिनांक
29–3–2016 प्रकरण संख्या 30/2012

———

उपस्थित :–1– श्री जे.पी. आमेटा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री विजय ओस्तवाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं.–2,3,

———/———

निर्णय **दिनांक 13–04–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक अपीलान्ट द्वारा सहायक कलक्टर मावली के प्रकरण संख्या 27/2011 में किये गये निर्णय दिनांक 30–11–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या

30/2012 दिनांक 17–4–2012 को पेश की। उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दफा–5 जाब्ता ामियाद के आवेदन के साथ प्रस्तुत हुई। प्रकरण में दौराने कार्यवाही दिनांक 29–3–2016 को उभयपक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति में वकील अपीलान्ट द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया गया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–3–2016 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गयाः–

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
No Instrection Sd/- Advocat 29–3–2016	वकील उभयपक्ष उप0। वकील अपीलान्ट ने No Instrection किया, अपीलान्ट को बार–2 आवाज लगवाने के बावजूद अनुपस्थित, अतएव प्रकरण में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं No Instrection में खारिज की जाती है। मिसल शुमार फैसल हो, आदेश सुनाया गया। **ह0/–** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–3–2016 को अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने से रूष्ट होकर आवेदक अपीलान्ट द्वारा यह आवेदन अन्तर्गत आदेश–9, नियम–9 जाब्ता दीवानी सपठित धारा–151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अशिक्षित ग्रामीण काश्तकार है। प्रकरण बहस में नियत था, अपीलान्ट की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी तथा अधिवक्ता ने विधि विरूद्ध सूचित किये बिना हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर कर दिया, जबकि न्यायालय को भी इस बाबत् अपीलान्ट को सूचित किया जाना वांछनीय था। प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाय अर्थात अपील संख्या 30/2012 को रेस्टोर किया जाय।

आवेदन के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र भी पेश किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या–1 की और से अधिवक्ता विजय

ओस्तवाल तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की और से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रकरण में हम सर्व प्रथम दफा–5 जाब्ता मयाद पर सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड के आधार पर निर्णय करना उचित समझते है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–3–2016 को वकील अपीलान्ट के हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करने पर अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने के कारण अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की गई थी, जिसको पुनः नंबर पर लिए जाने (रेस्टोरेशन) की मयाद 1 माह यानि 28–4–2016 होती है, परन्तु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–9–2017 को यानि 1 वर्ष 5 माह विलम्ब से पेश हुई है। एक वर्ष 5 माह के विलम्ब कण्डोन किये जाने के लिए अपीलान्ट द्वारा कोई ऐसे कारण वर्णित नहीं किये गये है, जिसे उचित व पर्याप्त कहा जा सके।

आवेदक द्वारा अपील के अधिवक्ता को तथा न्याालय को उसे सूचित नहीं करने का उल्लेख किया है, परन्तु अपील अधिवक्ता ने यदि सूचना नहीं दी तो संबंधित अधिवक्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, इसकी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पृथक से सूचना दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। मूल अपील विलम्ब से पेश होने तथा रेस्टोरेशन आवेदन में भी इतने दीर्घ–विलम्ब से आवेदक अपीलान्ट का न्यायालय प्रकिया के प्रति बेरूखी व अरूचि ही प्रकट होती है तथा निष्क्रिय पक्षकार के लिए न्यायालय विधि से हटकर कोई राहत नहीं दे सकता। प्रस्तुत प्रकरण में एक वर्ष 5 माह के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए काई उचित व पर्याप्त आधार नहीं होने से आवेदन आवेदक बेरून मयाद होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर